

11 JUL 2017

शिमला - 1

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1
Tel: 01772653120 Extn. 234 email: genbr@rediffmail.com Fax: 2812882

पृष्ठांकन संख्या— शिक्षा—उच्चतर शिक्षा(21)एफ(2)35 / 2011—वी
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक जुलाई, 2017

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2, को
अधिसूचना संख्या: ईडीएन-सी-एफ(10)8 / 2009-(लूज) दिनांक 03-07-2017,
के सन्दर्भ में।
- 2 समस्त उप-शिक्षा निदेशक(उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, को अतिरिक्त मुख्य सचिव
(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, से प्राप्त उपरोक्त अधिसूचना (हिन्दी व अंग्रजी)
की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 अधीक्षक, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को उपरोक्त
अधिसूचना (हिन्दी व अंग्रजी) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने वारे।
- 4 रक्षक नस्ति।

Shivam Singh
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महाऽ),
हिमाचल प्रदेश

DDHE

G-II

08
18/17

853
1873

पृष्ठांकन सराया :- शिक्षा यू (जी-2) विवर्य 2016-13198
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्च उना जिला छन्ना 27

प्राप्तिलिपि :-

समर्थ विधानार्थ | सरकारी प्राप्ति राजकीय / घराजी
वार नाम / उच्च पाठ्यालाइनों को विद्यार्थी एवं छात्र
कार्यवाही हेतु प्राप्ति है।

Shivam Singh
Deputy Director of Higher Education
Una District Una (H.P.)

D. NO
२०१७/२३६९३
५१०८१२०१८

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

संख्या: ईडीएन-सी-एफ(10)8 / 2009-(लूज) दिनांक: शिमला-171002

3-7-2017
30-06-2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: ईडीएन-सी-एफ(10)8 / 09, तारीख 5 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित और ई-गजट में तारीख 8 मार्च, 2011 को प्रकाशित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 18 का 2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 के नियम 18 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखें जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्ष-बार, विषय-बार अधिगम परिणाम तैयार करना; और

“(घ) परिभाषित अधिगम परिणमों को प्राप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना”।

आदेश द्वारा,
(डा० ए.जे.वी प्रसाद)
अतिरि० मुख्य सचिव (शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृष्ठांकन संख्या. यथोपरि दिनांक: शिमला-171002 3-7-2017

सूचना एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित की जाती है:


1. सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली



2. निदेशक (ई.ई-II) मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, हि.प्र. शिमला-2
4. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक द्वारा दिनांक 24.06.2017 में मद सं0:-15 में लिए गए निर्णय, के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. ए.एल.आर. एवं अवर सचिव, विधि (ओ), हिमाचल प्रदेश सरकार, हि.प्र. सचिवालय, शिमला-2 को उनकी डायरी सं0:-2499, दिनांक 2-06-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, हि० प्र०, शिमला-2
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, लालपानी, शिमला-1 को आगामी कार्यवाही हेतु। उनसे अनुरोध है की वह सभी सम्बन्धित को आगामी वाही हेतु बांटें।
8. राज्य परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान), हि.प्र., लालपानी, शिमला-1 को सूचना एवं आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु।
9. निजी सचिव, मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा), हि.प्र. शिमला-2
10. गार्ड फाइल।


(वेद भूषण सुज्ञान)
उप सचिव(प्रा० शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2. निदेशक (ई.ई-II) मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, हि.प्र. शिमला-2
4. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक द्वारा दिनांक 24.06.2017 में मद सं0:-15 में लिए गए निर्णय, के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. ए.एल.आर. एवं अवर सचिव, विधि (ओ), हिमाचल प्रदेश सरकार, हि.प्र. सचिवालय, शिमला-2 को उनकी डायरी सं0:-2499, दिनांक 2-06-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, हि0 प्र0, शिमला-2
7. निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, लालपानी, शिमला-1 को आगामी कार्यवाही हेतु। उनसे अनुरोध है की वह सभी सम्बन्धित को आगामी बाही हेतु बांटें।
8. राज्य परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान), हि.प्र., लालपानी, शिमला-1 को सूचना एवं आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु।
9. निजी सचिव, मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा), हि.प्र. शिमला-2
10. गार्ड फाइल।


 (वेद भूषण सुज्ञान)
 उप सचिव(प्रा० शिक्षा)
 हिमाचल प्रदेश सरकार।